



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
हरिद्वार-249404
Website: psc.uk.gov.in



(01334) 244143
(01334) 244282
07060002410

विज्ञापन संख्या :: A-2 / DR / S-3 / 2023-24

**सहकारिता पर्यवेक्षक एवं पर्यावरण पर्यवेक्षक
(समूह 'ग') परीक्षा-2023**

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	-	10 जुलाई 2023
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	-	31 जुलाई 2023 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)

सहकारिता पर्यवेक्षक एवं पर्यावरण पर्यवेक्षक (समूह 'ग') परीक्षा-2023 के अन्तर्गत कुल 55 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र (**Online Application**) आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर दिनांक 31 जुलाई, 2023 तक विज्ञापन में उल्लिखित रिक्तियों हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी को उक्त पदों हेतु विज्ञापन में निहित प्राविधानों के अनुसार आवेदन करना होगा। उक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का आयोजन **परिशिष्ट-1** पर उल्लिखित परीक्षा योजना एवं **परिशिष्ट-2** पर उल्लिखित पाठ्यक्रम के अनुसार किया जायेगा।

अति महत्वपूर्ण निर्देश :-

1. अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित धारित सभी श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्या: 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0 (एस) 19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण एवं शैक्षिक अर्हता विषयक प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित होना चाहिए।
2. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अन्तिम तिथि अर्थात् दिनांक 31 जुलाई, 2023 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि (Result Declaration Date), वह मानी जायेगी जो अंक पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) हो। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता (Qualification Details) के विवरण में (Result Declaration Date) के कॉलम में, संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक-पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) का अंकन हो। विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतः अभ्यर्थी की होगी।
3. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली-भांति

	अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही-सही भरें। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
4.	फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/आरक्षण सम्बन्धी आदि) के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित (DEBAR) कर दिया जायेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर लिखना या लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में माना जायेगा।
5.	<p>ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा की गयी प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन (Edit/Correction) किये जाने हेतु केवल एक बार पुनः लिंक खोला जायेगा। अभ्यर्थीगण आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियों को अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें, ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों के अंतर्गत अभ्यर्थियों के नाम/जन्म तिथि/श्रेणी/उपश्रेणी/लिंग आदि में संशोधन हेतु अंतिम तिथि के उपरांत मात्र एक बार अवसर प्रदान किया जायेगा। विज्ञापन के बिन्दु संख्या-12 (संशोधन/परिवर्तन प्रक्रिया) में उल्लिखित प्राविधानानुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा संशोधन/परिवर्तन (Edit/Correction) किया जायेगा।</p> <p>अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि भविष्य में किसी भी असुविधा से बचने के लिए उक्त संशोधन/परिवर्तन का अवसर प्रदान करने के उपरान्त किसी भी दशा में अभ्यर्थी द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित किसी भी प्रविष्टि/दावे को संशोधित/परिवर्तित करने के अनुरोध पर आयोग द्वारा भविष्य में विचार नहीं किया जायेगा।</p>
6.	अभ्यर्थी परीक्षा योजना के लिए परिशिष्ट-01, पाठ्यक्रम के लिए परिशिष्ट-02, आरक्षण सम्बन्धी दावों के लिए निर्धारित प्रारूप हेतु परिशिष्ट-03, न्यूनतम अर्हक अंक हेतु परिशिष्ट-04, परीक्षा केन्द्र/जनपद के चयन हेतु परिशिष्ट-05, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता धारित दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका सिद्धान्त हेतु परिशिष्ट-06 तथा 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता धारित दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका सिद्धान्त हेतु परिशिष्ट-07 का अवलोकन करें।
7.	<p>i- आवेदन के प्रारम्भिक चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंटआउट प्रति अथवा किसी भी प्रकार का प्रमाण-पत्र आयोग कार्यालय में जमा/प्रेषित नहीं किया जाना है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।</p> <p>ii. प्रश्नगत पद हेतु निर्धारित परीक्षा योजना/पाठ्यक्रम के अनुसार लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का आयोजन किया जाएगा।</p> <p>iii. आयोग द्वारा मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट के साथ अनिवार्य अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण-पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा।</p>

	<p>iv. विज्ञापन में उल्लिखित शर्तानुसार यदि ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी के दावे तथा प्रमाण-पत्रों में भिन्नता अथवा कमी पायी जाती है, तो अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा।</p> <p>v. लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में अर्ह अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे से सम्बन्धित अभिलेखों यथा –शैक्षणिक, आरक्षण आदि का आयोग द्वारा सत्यापन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली-2022 के भाग-नौ में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। उपरोक्त के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से पृथक से सूचित किया जाएगा।</p> <p>vi. अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचनायें ई-मेल या एस0एम0एस0 के माध्यम से प्रेषित की जायेगी। इसलिए अभ्यर्थी स्वयं का मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई0 डी0 ही आवेदन पत्र में भरें।</p>
8.	लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में सफल घोषित अभ्यर्थियों से ही पदों हेतु वरीयता (Preference) ऑनलाइन ली जाएगी। पदवार वरीयता (Preference) हेतु लिंक खोलने के सम्बन्ध में सूचना दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अभ्यर्थियों को पृथक से सूचित किया जाएगा। वरीयता प्रपत्र (Preference Sheet) की प्रिंटआउट प्रति अन्य शैक्षिक अभिलेखों के साथ आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर विहित समय सीमा के अन्दर आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पदवार ऑनलाइन वरीयता (Online Preference) भरने के पश्चात् इसमें किसी प्रकार का संशोधन संबंधी अनुरोध किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
9.	अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें।
10.	प्रश्नगत लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हेतु न्यूनतम अर्हक अंकों के प्रतिशत का उल्लेख विज्ञापन के परिशिष्ट-04 पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को उनकी दावित आरक्षण श्रेणी/उप-श्रेणी के अनुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने पर ही मेरिट (MERIT) के आधार पर प्रवीणता-सूची हेतु विचारित किया जायेगा।
11.	लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हेतु अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केन्द्र व परीक्षा तिथि की सूचना यथासमय आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित की जायेगी।
12.	लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में अर्ह अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावे से सम्बन्धित अभिलेखों यथा-शैक्षणिक, आरक्षण व वरीयता आदि का आयोग द्वारा सत्यापन किया जायेगा। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावे से सम्बन्धित अभिलेखों शैक्षणिक, आरक्षण व वरीयता प्रपत्र आदि की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13.	अभ्यर्थी अपनी शैक्षिक अर्हता के अनुसार सहकारिता पर्यवेक्षक एवं पर्यावरण पर्यवेक्षक के पदों हेतु आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए अभ्यर्थी को एक ही ऑनलाइन आवेदन करना है। एक से अधिक पदों के सापेक्ष अभिलेख सत्यापन हेतु बुलाये जाने की दशा में अभ्यर्थी

	को पदों हेतु वरीयता प्रपत्र (Preference Sheet) पर वरीयता (Preference) प्रस्तुत करना होगा, जो कि अभिलेख सत्यापन से पूर्व आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।
14.	प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे, अपितु ऑनलाइन प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किये जायेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञप्ति, राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर प्रसारित की जायेगी।
15.	उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 32/XXXVI(3)/2023/04(01)/2023 दिनांक 11 फरवरी, 2023 के क्रम में कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-4 के पत्रांक-16/XXX(4)/2023-03(27)/2022 दिनांक 13 फरवरी, 2023 द्वारा उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश-2023 प्रख्यापित किया गया है। किसी भी दुराचरण के लिए अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश-2023 के प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाएगी।

02. रिक्तियों का विवरण:- सहकारिता पर्यवेक्षक एवं पर्यावरण पर्यवेक्षक (समूह 'ग') परीक्षा-2023 के अन्तर्गत रिक्तियों की कुल संख्या 55 है। रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है। यह भी सूच्य है कि अन्य विभागों के समान पद एवं समान शैक्षिक अर्हता के पदों का भी समावेश किया जा सकता है। रिक्तियों का विभागवार विवरण निम्नवत् है:-

1. रेशम विभाग, उत्तराखण्ड

1.	पदनाम	सहकारिता पर्यवेक्षक
2.	कुल पदों की संख्या	02
3.	वेतनमान	रू0 19,900-63,200 (लेवल-2)
4.	पद का स्वरूप एवं पेंशन योजना	स्थायी, अराजपत्रित (समूह-ग), अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित।
5.	अनिवार्य शैक्षिक अर्हता	विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, उत्तराखण्ड/माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से इण्टरमीडिएट (विज्ञान) या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।
6.	अधिमानी अर्हता	अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने:- (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो; या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
7.	आयु सीमा	न्यूनतम आयु सीमा-18 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा-42 वर्ष।

उत्तराखण्ड शासन/विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये रेशम विभाग के अन्तर्गत सहकारिता पर्यवेक्षक पदों के सापेक्ष श्रेणी/उपश्रेणी वार उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण का विवरण निम्नवत् है :-

क्र. स.	पद एवं विभाग	उर्ध्वाधर आरक्षण	पदों की संख्या	उ० महिला (UF)	दिव्यांग (PH)	भू०सै० (EX)	स्व०सं०से० (DFF)	अनाथ (Orphan)
01	02	03	04	05	06	07	08	09
01	सहकारिता पर्यवेक्षक (रेशम विभाग)	अनारक्षित	02	01	00	00	00	00
		अनु० जाति	00	00				00
		अनु० जनजाति	00	00				00
		अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00				00
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00				00
		योग	02	01				00

नोट:- विभाग द्वारा दिव्यांगजन उपश्रेणी के अंतर्गत कोई पद आरक्षित नहीं किया गया है। यद्यपि उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या- 48/XVII-A-3/2023-01(11)/वि०क०/2017, दिनांक-05.06.2023 के अनुसार उक्त पद दिव्यांगता की उपश्रेणी LV/PB, HH/PD, OA, OL, LC, DW, AAV/AV, TH एवं HP हेतु चिन्हांकित हैं। उक्त दिव्यांगजन उपश्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के सापेक्ष खुली प्रतियोगिता के माध्यम से चयन हेतु आवेदन कर सकते हैं। तदक्रम में उक्त के अतिरिक्त दिव्यांगजन की अन्य उप श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

2. शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

1.	पदनाम	पर्यावरण पर्यवेक्षक
2.	कुल पदों की संख्या	53
3.	वेतनमान	रु० 21,700-69,100, (लेवल-3) ।
4.	पद का स्वरूप एवं पेंशन योजना	स्थायी, अराजपत्रित (समूह-ग), अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित।
5.	अनिवार्य शैक्षिक अर्हता	केन्द्र अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से विज्ञान वर्ग से इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण।
6.	अधिमानी अर्हता	अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने:- (एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो; या (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

7.	आयु सीमा	न्यूनतम आयु सीमा-18 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा-42 वर्ष।
----	----------	--

उत्तराखण्ड शासन/विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये पदों के सापेक्ष श्रेणी/उपश्रेणी वार उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण का विवरण निम्नवत् है :-

क्र. स.	पद एवं विभाग	उर्ध्वाधर आरक्षण	पदों की संख्या	उ० महिला (UF)	दिव्यांग (PH)	भू०सै० (EX)	स्व०सं०से० (DFE)	अनाथ (Orphan)
01	02	03	04	05	06	07	08	09
01	नगर पालिका परिषद, शिवालिक नगर	अनारक्षित	01	00	00	00	00	00
		अनु० जाति	01	00				00
		अनु० जनजाति	00	00				00
		अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00				00
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00				00
		योग	02	00				00
02	नगर पालिका परिषद, चिन्यालीसौड	अनारक्षित	01	00	00	00	00	00
		अनु० जाति	01	00				00
		अनु० जनजाति	00	00				00
		अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00				00
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00				00
		योग	02	00				00
03	नगर पालिका परिषद, रानीखेत	अनारक्षित	01	00	00	00	00	00
		अनु० जाति	01	00				00
		अनु० जनजाति	00	00				00
		अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00				00
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00				00
		योग	02	00				00
04	नगर पालिका परिषद, ईमली खेडा	अनारक्षित	01	00	00	00	00	00
		अनु० जाति	01	00				00
		अनु० जनजाति	00	00				00
		अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00				00
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00				00
		योग	02	00				00
05	नगर पालिका परिषद, नगला	अनारक्षित	03	00	00	00	00	00
		अनु० जाति	01	00				00
		अनु० जनजाति	00	00				00
		अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00				00
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00				00
		योग	04	00				00
06	नगर पंचायत, भगवानपुर	अनारक्षित	01	00	00	00	00	00
		अनु० जाति	01	00				00
		अनु० जनजाति	00	00				00
		अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00				00
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00				00
		योग	02	00				00

क्र. स.	पद एवं विभाग	उर्ध्वाधर आरक्षण	पदों की संख्या	उ० महिला (UF)	दिव्यांग (PH)	भू०सै० (EX)	स्व०सं०से० (DFF)	अनाथ (Orphan)
01	02	03	04	05	06	07	08	09
07	नगर पंचायत, पाण्डली गुर्जर	अनारक्षित	01	00	00	00	00	00
		अनु० जाति	01	00				00
		अनु० जनजाति	00	00				00
		अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00				00
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00				00
		योग	02	00				00
08	नगर पंचायत, रामपुर	अनारक्षित	01	00	00	00	00	00
		अनु० जाति	01	00				00
		अनु० जनजाति	00	00				00
		अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00				00
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00				00
		योग	02	00				00
09	नगर पंचायत, ढंढेरा	अनारक्षित	01	00	00	00	00	00
		अनु० जाति	01	00				00
		अनु० जनजाति	00	00				00
		अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00				00
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00				00
		योग	02	00				00
10	नगर पंचायत, सुलतानपुर आदमपुर	अनारक्षित	01	00	00	00	00	00
		अनु० जाति	01	00				00
		अनु० जनजाति	00	00				00
		अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00				00
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00				00
		योग	02	00				00
11	नगर पंचायत, पिरान कलियर	अनारक्षित	01	00	00	00	00	00
		अनु० जाति	00	00				00
		अनु० जनजाति	00	00				00
		अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00				00
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00				00
		योग	01	00				00
12	नगर पंचायत, चौखुटिया	अनारक्षित	01	00	00	00	00	00
		अनु० जाति	00	00				00
		अनु० जनजाति	00	00				00
		अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00				00
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00				00
		योग	01	00				00
13	नगर पंचायत, बद्रीनाथ	अनारक्षित	01	00	00	00	00	00
		अनु० जाति	00	00				00
		अनु० जनजाति	00	00				00
		अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00				00
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00				00
		योग	01	00				00

क्र. स.	पद एवं विभाग	उर्ध्वाधर आरक्षण	पदों की संख्या	उ० महिला (UF)	दिव्यांग (PH)	भू०सै० (EX)	स्व०सं०से० (DFF)	अनाथ (Orphan)
01	02	03	04	05	06	07	08	09
14	नगर पंचायत, पोखरी	अनारक्षित	01	00	00	00	00	00
		अनु० जाति	00	00				00
		अनु० जनजाति	00	00				00
		अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00				00
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00				00
		योग	01	00				00
15	नगर पंचायत, पीपलकोटी	अनारक्षित	01	00	00	00	00	00
		अनु० जाति	00	00				00
		अनु० जनजाति	00	00				00
		अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00				00
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00				00
		योग	01	00				00
16	नगर पंचायत, थराली	अनारक्षित	01	00	00	00	00	00
		अनु० जाति	00	00				00
		अनु० जनजाति	00	00				00
		अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00				00
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00				00
		योग	01	00				00
17	नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम जौक	अनारक्षित	01	00	00	00	00	00
		अनु० जाति	00	00				00
		अनु० जनजाति	00	00				00
		अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00				00
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00				00
		योग	01	00				00
18	नगर पंचायत, सतपुली	अनारक्षित	01	00	00	00	00	00
		अनु० जाति	00	00				00
		अनु० जनजाति	00	00				00
		अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00				00
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00				00
		योग	01	00				00
19	नगर पंचायत, चमियाला	अनारक्षित	01	00	00	00	00	00
		अनु० जाति	00	00				00
		अनु० जनजाति	00	00				00
		अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00				00
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00				00
		योग	01	00				00
20	नगर पंचायत, घनसाली	अनारक्षित	01	00	00	00	00	00
		अनु० जाति	00	00				00
		अनु० जनजाति	00	00				00
		अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00				00
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00				00
		योग	01	00				00

क्र. स.	पद एवं विभाग	उर्ध्वाधर आरक्षण	पदों की संख्या	उ० महिला (UF)	दिव्यांग (PH)	भू०सै० (EX)	स्व०सं०से० (DFF)	अनाथ (Orphan)
01	02	03	04	05	06	07	08	09
21	नगर पंचायत, गजा	अनारक्षित	01	00	00	00	00	00
		अनु० जाति	00	00				00
		अनु० जनजाति	00	00				00
		अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00				00
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00				00
		योग	01	00				00
22	नगर पंचायत, पुरोला	अनारक्षित	01	00	00	00	00	00
		अनु० जाति	00	00				00
		अनु० जनजाति	00	00				00
		अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00				00
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00				00
		योग	01	00				00
23	नगर पंचायत, नौगांव	अनारक्षित	01	00	00	00	00	00
		अनु० जाति	00	00				00
		अनु० जनजाति	00	00				00
		अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00				00
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00				00
		योग	01	00				00
24	नगर पंचायत, केदारनाथ	अनारक्षित	01	00	00	00	00	00
		अनु० जाति	00	00				00
		अनु० जनजाति	00	00				00
		अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00				00
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00				00
		योग	01	00				00
25	नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि	अनारक्षित	01	00	00	00	00	00
		अनु० जाति	00	00				00
		अनु० जनजाति	00	00				00
		अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00				00
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00				00
		योग	01	00				00
26	नगर पंचायत, ऊखीमठ	अनारक्षित	01	00	00	00	00	00
		अनु० जाति	00	00				00
		अनु० जनजाति	00	00				00
		अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00				00
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00				00
		योग	01	00				00
27	नगर पंचायत, तिलवाडा	अनारक्षित	01	00	00	00	00	00
		अनु० जाति	00	00				00
		अनु० जनजाति	00	00				00
		अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00				00
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00				00
		योग	01	00				00

क्र. स.	पद एवं विभाग	उर्ध्वाधर आरक्षण	पदों की संख्या	उ० महिला (UF)	दिव्यांग (PH)	भू०सै० (EX)	स्व०सं०से० (DFF)	अनाथ (Orphan)
01	02	03	04	05	06	07	08	09
28	नगर पंचायत, नानकमत्ता	अनारक्षित	01	00	00	00	00	00
		अनु० जाति	00	00				00
		अनु० जनजाति	00	00				00
		अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00				00
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00				00
		योग	01	00				00
29	नगर पंचायत, गुलरभोज	अनारक्षित	01	00	00	00	00	00
		अनु० जाति	00	00				00
		अनु० जनजाति	00	00				00
		अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00				00
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00				00
		योग	01	00				00
30	नगर पंचायत, बेरीनाग	अनारक्षित	01	00	00	00	00	00
		अनु० जाति	00	00				00
		अनु० जनजाति	00	00				00
		अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00				00
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00				00
		योग	01	00				00
31	नगर पंचायत, गैरसैण	अनारक्षित	01	00	00	00	00	00
		अनु० जाति	00	00				00
		अनु० जनजाति	00	00				00
		अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00				00
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00				00
		योग	01	00				00
32	नगर पंचायत, गंगोलीहाट	अनारक्षित	01	00	00	00	00	00
		अनु० जाति	00	00				00
		अनु० जनजाति	00	00				00
		अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00				00
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00				00
		योग	01	00				00
33	नगर पंचायत, कपकोट	अनारक्षित	01	00	00	00	00	00
		अनु० जाति	00	00				00
		अनु० जनजाति	00	00				00
		अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00				00
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00				00
		योग	01	00				00
34	नगर पंचायत, बनबसा	अनारक्षित	01	00	00	00	00	00
		अनु० जाति	00	00				00
		अनु० जनजाति	00	00				00
		अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00				00
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00				00
		योग	01	00				00

क्र. स.	पद एवं विभाग	उर्ध्वाधर आरक्षण	पदों की संख्या	उ० महिला (UF)	दिव्यांग (PH)	भू०सै० (EX)	स्व०सं०से० (DFF)	अनाथ (Orphan)
01	02	03	04	05	06	07	08	09
35	नगर पंचायत, भिकियासैण	अनारक्षित	01	00	00	00	00	00
		अनु० जाति	00	00				00
		अनु० जनजाति	00	00				00
		अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00				00
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00				00
		योग	01	00				00
36	नगर पंचायत, सेलाकुई	अनारक्षित	01	00	00	00	00	00
		अनु० जाति	00	00				00
		अनु० जनजाति	00	00				00
		अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00				00
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00				00
		योग	01	00				00
37	नगर पंचायत, थलीसैण	अनारक्षित	01	00	00	00	00	00
		अनु० जाति	00	00				00
		अनु० जनजाति	00	00				00
		अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00				00
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00				00
		योग	01	00				00
38	नगर पंचायत, गरुड	अनारक्षित	01	00	00	00	00	00
		अनु० जाति	00	00				00
		अनु० जनजाति	00	00				00
		अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00				00
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00				00
		योग	01	00				00
39	नगर पंचायत, तपोवन	अनारक्षित	01	00	00	00	00	00
		अनु० जाति	00	00				00
		अनु० जनजाति	00	00				00
		अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00				00
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00				00
		योग	01	00				00
40	नगर पंचायत, लालपुर	अनारक्षित	01	00	00	00	00	00
		अनु० जाति	00	00				00
		अनु० जनजाति	00	00				00
		अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00				00
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00				00
		योग	01	00				00
41	नगर पंचायत, लम्बगांव	अनारक्षित	01	00	00	00	00	00
		अनु० जाति	00	00				00
		अनु० जनजाति	00	00				00
		अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00				00
		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00				00
		योग	01	00				00

क्र. स.	पद एवं विभाग	उर्ध्वाधर आरक्षण	पदों की संख्या	उ० महिला (UF)	दिव्यांग (PH)	भू०सै० (EX)	स्व०सं०से० (DFF)	अनाथ (Orphan)
01	02	03	04	05	06	07	08	09
कुल योग-			53	00	00	00	00	00

नोट:- विभाग द्वारा दिव्यांगजन उपश्रेणी के अंतर्गत कोई पद आरक्षित नहीं किया गया है। यद्यपि उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या- 48/XVII-A-3/2023-01(11)/वि०क०/2017, दिनांक-05.06.2023 के अनुसार उक्त पद दिव्यांगता की उपश्रेणी OA, OL, LV/PB, HH/PD, D, LC, DW एवं AAV/AV हेतु चिन्हांकित हैं। उक्त दिव्यांगजन उपश्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के सापेक्ष खुली प्रतियोगिता के माध्यम से चयन हेतु आवेदन कर सकते हैं। तदक्रम में उक्त के अतिरिक्त दिव्यांगजन की अन्य उप श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

03. आयु गणना की निश्चायक तिथि :-

सहकारिता पर्यवेक्षक एवं पर्यावरण पर्यवेक्षक (समूह 'ग') परीक्षा-2023 के अन्तर्गत रिक्त कुल 55 पदों हेतु आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2023 है।

उक्त पदों हेतु उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन संख्या 34/उ०अ०से०च०आ०/2021 दिनांक 30 जून, 2021 में जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था, उन अभ्यर्थियों हेतु आयु गणना की निश्चायक तिथि उक्त विज्ञापन के अनुसार 01 जुलाई, 2020 है।

नोट- उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन संख्या 34/उ०अ०से०च०आ०/2021 दिनांक 30 जून, 2021 के क्रम में अधिकतम आयु सीमा के अन्तर्गत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को वर्तमान विज्ञापन के सापेक्ष आयु सीमा में छूट का लाभ तभी अनुमन्य किया जायेगा, जब अभ्यर्थी द्वारा वर्तमान विज्ञापन के निर्धारित कॉलम में उक्त विज्ञापन का रजिस्ट्रेशन संख्या का उल्लेख किया गया हो। अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख सत्यापन के समय पूर्व विज्ञापन सं०-34, दिनांक 30.06.2021 के क्रम में किये गये ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा अभ्यर्थी को वर्तमान विज्ञापन से सापेक्ष अधिकतम आयु सीमा के अन्तर्गत छूट का लाभ अनुमन्य नहीं किया जायेगा।

04. अधिकतम आयु सीमा में छूट:-

विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत एवं वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में उनके आरक्षण की श्रेणी तथा उपश्रेणी के अनुसार छूट अनुमन्य होगी। उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु शासनादेश संख्या : 1399/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या : 1244/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या : 1244/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

अधिसूचना संख्या- 6/1/72 कार्मिक-2, दिनांक 25 अप्रैल, 1977 के अनुसार उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी और यदि परिणामजन्य आयु इस पद/सेवा के निमित्त जिनके लिए वह नियुक्ति का इच्छुक हो विहित अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायेगा की वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है।

शासनादेश सं0-406/XXX(2)2021-55(41)/2004, दिनांक 18 जनवरी, 2021 में यह उल्लिखित है कि शासनादेश सं0-124/XXX(2)2020-35(1)2001, दिनांक 22 मई, 2020 द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत हैं। भारत सरकार के O.M. No. 36034/6/90-Estt. (SCT) दिनांक 02 अप्रैल, 1992 के संदर्भ में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि “The ex-servicemen candidates who have already secured employment under the State Govt. in Groups C & D will be permitted the benefit of age relaxation as prescribed for ex-servicemen for securing another employment in a higher grade or cadre in Group C/D under the State Govt. However, such candidates will not be eligible for the benefit of reservation for ex-servicemen in State Govt. jobs.”

05. आरक्षण :-

उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सैनानी आश्रित, दिव्यांग, उत्तराखण्ड महिला एवं उत्तराखण्ड के अनाथ अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार प्रदान किया जायेगा।

यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उप श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जिसे उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति सहित अन्य स्वप्रमाणित अभिलेखों के साथ अभिलेख सत्यापन के समय संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण के सम्बन्ध में जिस श्रेणी से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप का उल्लेख “परिशिष्ट-3” में नहीं है, उससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी किया गया हो, संलग्न करें। जहां शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहां वांछित शपथ पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा।

i. पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ अधिसूचना संख्या-133/XXXVI(3)2009/14(1)/2009, दिनांक 16.03.2009 के अनुसार उत्तराखण्ड अधिवासी, सेना से सेवानिवृत्त/विनियोजित सैन्य कर्मियों को ही अनुमन्य होगा। शासनादेश संख्या-124/XXX(2)/2020-53(01)/2001, दिनांक 22.05.2020 के प्रस्तर-8 के अनुसार पूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के संदर्भ में भारत सरकार के “O.M. No. 36034/27/84-Estt. (SCT) dated 02.05.1985, it was decided

that once an ex-serviceman has joined the Government job on civil side after availing of the benefits given to him as an ex-serviceman for his re-employment, his ex-serviceman status for the purpose of re-employment in Government would cease.” का प्राविधान राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है। अतएव राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन हेतु भारत सरकार की नीति के अनुसार राज्याधीन सेवाओं में भी क्षैतिज आरक्षण की गणना की जायेगी। पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होने संबंधी शपथ पत्र (Affidavit) अपने अन्य अभिलेखों के साथ निर्धारित अभिलेख सत्यापन के समय आयोग कार्यालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा।

पूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थियों की शैक्षिक अर्हता में समकक्षता/छूट हेतु निर्गत शासनादेश सं०-38(1)/XXX(2)/2021-30(21)/2018, दिनांक 18.02.2021 के प्रस्तर-1 में उल्लिखित “ऐसे पूर्व सैनिक जो मैट्रीकुलेट हों तथा इण्डियन स्पेशल आर्मी सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन या नौ सेना/वायु सेना में समकक्षीय सर्टिफिकेट प्राप्त किये हों तथा संघ की सशस्त्र सेना में कम से कम 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, को उनके लिये आरक्षित सिविल पदों के समूह-ग की उन सेवाओं/पदों के लिये अर्ह माना जायेगा, जिनके लिये न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक निर्धारित हो, परन्तु जहां उनके लिये तकनीकी या व्यवसायिक अनुभव अनिवार्य न हो या जहां गैर तकनीकी व्यवसायिक कार्य अनुभव अनिवार्य हो के आलोक में शैक्षिक अर्हता स्नातक की समकक्षता संबंधी छूट प्रदान की जायेगी।

ii. स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित (डी०एफ०एफ०) को आरक्षण का लाभ शासन द्वारा निर्गत अद्यतन प्रचलित शासनादेशों के आधार पर दिया जायेगा।

iii. शासनादेश संख्या-310/XVII-2/16-02(OBC)/2012, दिनांक 26.02.2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता, निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अवश्य धारित व मान्य होना चाहिये।

iv. अधिसूचना संख्या-64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019, दिनांक 07.03.2019 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु के लिए आरक्षण) अधिनियम 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को राज्याधीन लोक सेवाओं और सीधी भर्ती के पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र जिस वर्ष हेतु निर्गत किया जाये, उस वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष की आय के आधार पर जारी होना चाहिए। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अवश्य धारित व मान्य होना चाहिये।

v. उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 397/XXX(2)/2019-30(2)/2019 दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 के क्रम में कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के पत्रांक- 415/

XXX(2)/2019-30(2)/2019 दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवा में 05 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

vi. उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 09/XXXVI(3)/2023/72(1)/2022 दिनांक 10 जनवरी, 2023 के क्रम में उत्तराखण्ड लोक सेवा (महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम-2022 के प्रस्तर-3(1) व (2) के अनुसार उत्तराखण्ड अधिवासित महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमन्य किया जायेगा।

आरक्षण के दावे की पुष्टि के लिए जिलाधिकारी/ अपर जिला मजिस्ट्रेट/ नगर मजिस्ट्रेट/ एस.डी.एम./ तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रपत्र पर जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

06. अनिवार्य/वांछनीय अर्हता :-

(i) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार निम्नवत है:- शासन की अधिसूचना संख्या-164/XXX-2/19-01(17)/2012, दिनांक 28 जून, 2019 द्वारा 'उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो,

परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाएँ उत्तराखण्ड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री, राज्याधीन सेवाओं में समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे,

परन्तु यह और कि राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका/अध्ययन हेतु उत्तराखण्ड के बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र/पुत्री भी समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।

(ii) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता/वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 के नियम-4 के अनुसार उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत समूह "ग" के पद पर सीधी भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि तक अवश्य पंजीकृत हो।

परन्तु शासन के पत्रांक-1097/XXX(2)/2011, दिनांक 08 अगस्त, 2011 के अनुसार "जो व्यक्ति पूर्व से ही राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित है, किन्तु इस विज्ञापन में विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन करने के इच्छुक हैं, उनके लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। "उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-310/XXX(2)/2015, दिनांक 28.07.2015 के अनुसार राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत केवल उत्तराखण्ड राज्य की सेवाएँ सम्मिलित हैं।"

ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं से इतर अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं, अपने विभाग से सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण करा सकते हैं। उपरोक्त अभ्यर्थियों को उनके ऑनलाइन आवेदन-पत्र में किये गये दावों के क्रम में जिनके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है, को इस शर्त के साथ औपबन्धिक रूप से अर्ह किया जायेगा कि वह इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे कि उनके द्वारा सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अपने विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है तथा इसकी सूचना सम्बन्धित सेवायोजन कार्यालय को दे दी गयी है। इस प्रकार उक्त दोनों आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही उस अभ्यर्थी को अर्ह माना जायेगा।

(iii) शासन के पत्रांक-809/XXX(2)/2010-3(1)/2010, दिनांक 14 अगस्त, 2012 के अनुसार "जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और जिला सैनिक कल्याण एवं एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा सम्बन्धित पूर्व सैनिकों को निर्गत पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य माना जायेगा।"

नोट- अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु अनिवार्य/वांछनीय अर्हता के प्रस्तर-i, ii एवं iii में उल्लिखित शर्तों के अंतर्गत किसी भी एक शर्त को पूरा करना आवश्यक है, जो अभ्यर्थी पर लागू हो।

07. राष्ट्रीयता :-

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी-

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय मूल का, ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीका देश- केनिया, उगाण्डा या यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी

को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में तभी रहने दिया जाएगा जबकि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

टिप्पणी:- ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न ही देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अन्तिम रूप से नियुक्त किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

08. चरित्र :-

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए, कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

09. वैवाहिक प्रारिथि-

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित हो :

परन्तु, सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

10. शारीरिक स्वस्थता-

किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त नहीं किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह मूल नियम-10 के अधीन बनाये गये और वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।

11. ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया (Procedure to apply online) :-

1. अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक् रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in या ukpsc.net.in पर जायें।
2. विज्ञापन का अवलोकन करने के पश्चात ukpsc.net.in पर जाकर **Menu bar** में **How to Apply** लिंक पर क्लिक करें। **How to Apply** पेज पर **Advertisement Details, Important Dates** एवं **Instructions for filling up online application form** का अवलोकन करने के पश्चात **Apply Now** बटन पर क्लिक करें।

3. **Apply Now** पर क्लिक करने के पश्चात् खुले **Registration** फॉर्म पर वांछित, अपनी सही जानकारी भरकर **Login** हेतु **Password** बनाकर **Submit** पर क्लिक करें। **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात् फॉर्म पर भरी जानकारी **Basic Information** प्रदर्शित होगी। भरी हुई जानकारी का पुनः सम्यक परीक्षण कर लें। यदि भरी हुई जानकारी सही है तो **I have verified all the details entered by me in the registration form and wish to submit the same** पर **Tick** कर **Submit** पर क्लिक करें, अन्यथा **No, I want to change some details** पर **Tick** कर **Edit** पर क्लिक करें एवं संशोधित **detail** भरने के पश्चात् पुनः **Registration** फॉर्म **Submit** करने की प्रक्रिया पूर्ण करें।
4. **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात् स्क्रीन पर **Primary Registration** पूर्ण होने की जानकारी प्रदर्शित होगी एवं **Registered Mobile Number** एवं **Email** पर **Message** प्राप्त होगा। तत्पश्चात् स्क्रीन पर **Click here to login** के बटन पर क्लिक करें।
5. **Login** करने के पश्चात् **Educational Details** पेज प्रदर्शित होगा। फॉर्म पर **Educational Qualifications** के अन्तर्गत सर्वप्रथम **High School** का विवरण भरें एवं **Add Education Details** पर क्लिक करें, भरा गया विवरण **Add Education Detail** के नीचे ग्रिड में प्रदर्शित होगा। गलत **Educational** विवरण भरने की स्थिति में ग्रिड में **Edit/Delete** के **Icon** पर क्लिक कर **Edit** अथवा **Delete** किया जा सकता है। इसी प्रकार **Intermediate, Graduate** व अन्य शैक्षिक अर्हताएं भरें। फॉर्म पर अन्य विवरण भर कर **Continue** पर क्लिक करें। उसके पश्चात् **Photo & Signature to Upload** टैब पर **Photo, Signature** को प्रदर्शित सूचना के आधार पर अपलोड करें। **Photo, Signature** को **re-upload** करने के लिए **I want to upload photo and signature** **Checkbox** पर क्लिक कर पुनः **Photo, Signature** अपलोड किये जा सकते हैं।
6. **Photo, Signature** अपलोड होने के पश्चात् **"I hereby declare that the photograph & signature are correct and accurate representation of myself"** **declaration** पर **Tick** कर **Continue** पर क्लिक करें। तत्पश्चात् फॉर्म में भरा गया डाटा स्क्रीन पर दिखाई देगा। फॉर्म में भरे गये विवरण को सावधानी पूर्वक चेक कर लें। गलत भरे गये विवरण को **Back & Edit** के बटन पर क्लिक कर फॉर्म पर वापस जाकर सही किया जा सकता है। वांछित विवरण सही होने की स्थिति में घोषणा पर **Tick** करने के पश्चात् **Final Button** पर क्लिक कर, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें। **Print Application** बटन पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट प्राप्त कर लें।
7. **Final Submission** के उपरान्त आवेदन-पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द (**Cancel**) कर पुनः आवेदन कर सकते हैं। आवेदन रद्द (**Application Cancel**) करने के लिए **Cancel My Application** बटन पर क्लिक करें। तत्पश्चात् एक नई विण्डो ओपन होगी, जिसमें दी गयी घोषणा का सम्यक् अध्ययन करने के पश्चात् घोषणा को **Tick** कर **Submit** बटन पर क्लिक करें अथवा वापस जाने हेतु **Close** की जगह **Back** बटन पर क्लिक करें। **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात् अभ्यर्थी को पंजीकृत मोबाईल पर ओ0टी0पी0(OTP) प्राप्त होगा, जिसको कि **Enter OTP** वाली फील्ड्स पर दर्ज कर **Cancel Application** बटन पर क्लिक करें। आवेदन रद्द (**Application Cancel**) करने के

पश्चात् उस रद्द आवेदन (Cancel Application) के सापेक्ष किसी भी दशा में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नोट: (1) **Final Submission** से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र में त्रुटि होने की दशा में **Back & Edit** के बटन पर क्लिक कर फॉर्म में वापस (Back) जाकर त्रुटि में संशोधन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आने वाली तकनीकी समस्या (Technical Issue) के समाधान हेतु अभ्यर्थी ukpschelpine@gmail.com पर ई-मेल कर सकते हैं।

(2) **Final Submission** के पश्चात् आवेदन-पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

(3) अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के पश्चात् **मोबाइल नम्बर Edit** नहीं किया जा सकता है।

12. संशोधन/परिवर्तन प्रक्रिया—

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन किये जाने हेतु दिशा-निर्देश—

- (i) ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात् 05 कार्यदिवस के उपरांत (Edit/Correction) का लिंक खोला जाएगा।
- (ii) (Edit/Correction) हेतु उक्त लिंक की समयावधि 10 दिन होगी।
- (iii) जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की है, केवल वह अभ्यर्थी ही अपने ई-मेल आईडी एवं पासवर्ड से लॉग-इन कर पायेंगे।
- (iv) लॉग-इन करने के पश्चात् अभ्यर्थी शर्तानुसार अपने भरे हुए डाटा में (मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आईडी को छोड़कर) आवश्यकतानुसार संशोधन कर पायेंगे।
- (v) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में Edit/Correction की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, उसके पश्चात् ही आवेदन पत्र में डाटा Update हो सकेगा।
- (vi) Edit/Correction की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् Edited Data ही अंतिम माना जायेगा।
- (vii) अभ्यर्थी द्वारा श्रेणी/उपश्रेणी में परिवर्तन किये जाने पर अभ्यर्थियों को परिवर्तित श्रेणी/उपश्रेणी का शुल्क विज्ञापन की शर्तों के अनुसार देय होगा, किन्तु अगर अभ्यर्थी केवल ऐसी उपश्रेणी (डी0एफ0एफ0/उ0म0 इत्यादि) में बदलाव करता है जिससे शुल्क में कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो उस उपश्रेणी में बदलाव का कोई शुल्क देय नहीं होगा। अभ्यर्थी को अन्य प्रविष्टियों में परिवर्तन/त्रुटि सुधार करने पर कोई शुल्क देय नहीं होगा।

13. शुल्क :- शासनादेश संख्या 65880/2022, दिनांक 23 सितम्बर, 2022, एवं शासनादेश संख्या 70793/2022, दिनांक 14 अक्टूबर, 2022 के क्रम में मा0 आयोग के निर्णय दिनांक

14.10.2022 के अनुपालन में अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क में छूट प्रदान की गई है

14. अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्देश :-

(01) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया, पदों से संबंधित संगत सेवा नियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों एवं समय-समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

(02) अभ्यर्थियों हेतु **Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013** एवं प्रथम संशोधन-2016 और उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली, 2022 यथा संशोधित आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in पर उपलब्ध है।

(03) विज्ञापित पदों हेतु 02 घण्टे समयावधि की एक लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति (Objective Type with Multiple Choice) होगी, जिसके लिए अधिकतम 100 अंक निर्धारित हैं। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति के अंतर्गत खण्ड-‘ब’ (विषयपरक जानकारी) हेतु अभ्यर्थी द्वारा धारित शैक्षिक अर्हता के अनुसार **वर्ग-1 (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीवविज्ञान)** तथा **वर्ग-2 (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित)** का चयन ऑनलाइन आवेदन पत्र में किया जाना अनिवार्य है। प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक पद्धति अपनाई जायेगी। लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) की तिथि की सूचना यथासमय आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

(04) अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकेंगे। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञप्ति प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर प्रसारित की जायेगी।

(05) यदि किसी अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने से लेकर प्रवेश पत्र डाउनलोड होने तक कोई तकनीकी समस्या आती है तो वह इन समस्याओं के निवारण हेतु आयोग की ई-मेल ukpschelp@pschelp.com पर संपर्क कर सकते हैं।

(06) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में अर्ह अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे से सम्बन्धित अभिलेखों यथा -शैक्षणिक, आरक्षण आदि का आयोग द्वारा सत्यापन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली-2022 के भाग-नौ में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार **अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन हेतु औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया जायेगा।** अभिलेख सत्यापन के दौरान यदि अभ्यर्थी की अर्हता के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(07) केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु अपने सेवा नियोजक को सूचित करना अनिवार्य है तथा चयन प्रक्रिया में आयोग द्वारा यथासमय मांगे जाने पर सेवा नियोजक द्वारा निर्गत 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत करना होगा।

(08) गलत उत्तरों के लिए दण्ड— वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्डस्वरूप (ऋणात्मक मूल्यांकन) किया जायेगा।

(क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प (उत्तर) हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए संबंधित प्रश्न हेतु निर्धारित अंकों का एक चौथाई दण्ड रूप में काटा जायेगा।

(ख) किसी भी प्रश्न का यदि अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक उत्तर दिया जाता है, भले ही उनमें से कोई उत्तर सही क्यों न हो तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा तथा इस हेतु दण्ड स्वरूप संबंधित प्रश्न का एक चौथाई अंक काटा जायेगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

(09) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के प्रश्न पत्र से सम्बन्धित उत्तर कुंजी का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जायेगा और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 07 दिनों के भीतर किसी प्रश्न व संबंधित उत्तर के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रति-प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क रू0 50.00 का भुगतान करना होगा, जिसे किसी भी दशा में अभ्यर्थियों को वापस नहीं किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रति-प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है तो वैसे अभ्यर्थी द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। आपत्तियों के संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण संबंधित विषय विशेषज्ञों से कराने के उपरान्त विषय विशेषज्ञों की संस्तुतियों के आधार पर उत्तर पत्रों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी।

(10) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में कैलकुलेटर या किसी भी प्रकार के गणना संबंधी उपकरण का प्रयोग वर्जित है।

(11) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस, किसी भी प्रकार की घड़ी (डिजिटल एवं एनालॉग आदि) अथवा अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि अभ्यर्थी इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाये जाते हैं तो उन पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस, किसी भी प्रकार की घड़ी अथवा अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सहित किसी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लायें।

(12) अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित— कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी के पेपरों से न तो नकल करेगा, न ही अपने पेपरों से नकल करायेगा, न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश-2023 के प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(13) परीक्षा केन्द्र में आचरण— कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करे तथा परीक्षा हॉल में अव्यवस्था न फैलाये तथा परीक्षा संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान न करें, ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा। परीक्षा समाप्ति के उपरान्त उत्तर पत्रक कक्ष निरीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जायें।

(14) अँगूठे का निशान (Thumb Impression)— सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में परीक्षा हेतु उन्हें उपलब्ध कराये गये उत्तर पत्रक के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरुष अभ्यर्थी की दशा में बायें अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दायें अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे।

(15) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, वैसी दशा में ही आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।

(16) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें, जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं।

(17) विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आवेदित पद हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। चयन के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम (औपबन्धिक) होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। उम्मीदवार को मात्र प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दी गयी है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(18) हाई स्कूल प्रमाण-पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

(19) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013 यथा संशोधित-2016 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

(20) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही:- अभ्यर्थियों को यह चेतावनी दी जाती है कि आवेदन पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई संशोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें अथवा जाली प्रलेख प्रस्तुत नहीं करें। यदि एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति पायी जाती है तो इस विसंगति के संबंध में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा।

(21) अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगा:-

1. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात (क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना, या (ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा 2. नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक/उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरा हो अथवा 3. प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलायी हो कुटरचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा 4. जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा/फेरबदल किया गया हो, अथवा 5. गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा 6. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, (क) गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, (ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, या 7. परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या 8. उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बात लिखना, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा 9. परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं का फाड़ना, उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा 10. परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुँचायी हो, या 11. परीक्षा हॉल में परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलैक्ट्रॉनिक उपकरण या यन्त्र अथवा संचार यन्त्र के रूप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या 12. परीक्षा की अनुमति देते हुए अभ्यर्थियों को भेजे गये प्रमाणपत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया हो, अथवा 13. उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे (क) आयोग द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, अथवा (ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (ग) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा

सकता है (घ) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है। (ङ) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक (च) अभ्यर्थी को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और (छ) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, आयोग द्वारा विचार कर लिया गया हो।

(22) आयोग से किए जाने वाले सभी पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।

(23) यदि पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तत्परता से आयोग को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए।

(24) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि शासन/विभाग का ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से पात्र है।

(25) अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जाएंगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in का समय-समय पर अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।

(26) लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) उत्तराखण्ड के विभिन्न जनपदों के परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जायेगी। आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर ही आवेदित जनपदों में परीक्षा केन्द्र आवंटित करने का प्रयास करेगा, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में अभ्यर्थियों को उनके विकल्प से इतर अन्य जनपदों में भी परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केन्द्र निर्धारण के उपरान्त परीक्षा केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धी किसी भी प्रकार के अनुरोध/प्रत्यावेदन को स्वीकार्य नहीं किया जायेगा और न ही उस पर विचार किया जायेगा।

(27) अभ्यर्थी लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) के दौरान, अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित फोटो पहचान पत्र (आई0डी0) अपने साथ अवश्य रखें एवं मांगे जाने पर उक्त आई0डी0 की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(28) जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के संबंध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

(29) चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु मूल शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों से मिलान कर सत्यापन के पश्चात् ही चयन संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी।

(30) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु सभी पुष्ट प्रमाण पत्र कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आरक्षण सम्बन्धी सभी शासनादेशों एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रारूपों के आधार पर ही आरक्षण का दावा एवं अनुमन्यता देय होगी।

-Sd/-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।

परिशिष्ट-01

सहकारिता पर्यवेक्षक / पर्यावरण पर्यवेक्षक पद पर चयन हेतु परीक्षा योजना

लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

क्र० सं०	प्रश्नपत्र	विषयवस्तु	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	समय
1	सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन तथा विषयपरक जानकारी	खण्ड- अ सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन	25	25	2 घण्टे
		खण्ड- ब विषयपरक जानकारी	75	75	
कुल			100	100	

नोट: 1- खण्ड-अ (सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन) सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा।

2- खण्ड-ब (विषयपरक जानकारी) के अन्तर्गत अभ्यर्थी धारित शैक्षिक अर्हता के अनुसार वर्ग-1 अथवा वर्ग-2 में से किसी एक वर्ग का चयन कर सकते हैं।

3- वर्ग-1 उल्लिखित विषय यथा- भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीवविज्ञान विषय सम्मिलित हैं।

वर्ग-2 उल्लिखित विषय यथा- भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित विषय सम्मिलित हैं।

नोट: 2- उक्त परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन (Negative marking) पद्धति अपनाई जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गये गलत उत्तर के लिए या अभ्यर्थी द्वारा एक ही प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने के लिए (चाहे दिये गये उत्तर में से एक सही ही क्यों न हो), उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का एक चौथाई (1/4) दण्ड के रूप में काटा जायेगा।

परिशिष्ट-02

सहकारिता पर्यवेक्षक / पर्यावरण पर्यवेक्षक पद पर चयन हेतु पाठ्यक्रम

सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन तथा विषयपरक जानकारी

प्रश्नों की संख्या : 100

अधिकतम अंक : 100

समयावधि : 02 घण्टे

खण्ड-अ

(सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य)

सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन

प्रश्नों की संख्या: 25

अधिकतम अंक: 25

- 1 सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित जानकारी : सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर संचालन की आधारभूत जानकारी में प्रश्न विज्ञान एवं कंप्यूटर की सामान्य समझ एवं दैनिक जीवन में इनके अनुप्रयोग पर आधारित होंगे।
- 2 भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन : भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के अन्तर्गत प्रश्न; प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक भारतीय इतिहास की सामान्य जानकारी तथा भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन पर आधारित होंगे।
- 3 भारतीय राज्य व्यवस्था : भारतीय राज्य व्यवस्था के अन्तर्गत प्रश्न; भारतीय राज्यव्यवस्था, संविधान एवं पंचायती राज पर आधारित होंगे।
- 4 भारत का भूगोल एवं जनांकिकी : इसके अन्तर्गत प्रश्न भारत के भौगोलिक, पारस्थितिकीय, सामाजिक-आर्थिक और जनांकिकीय पक्षों की सामान्य समझ पर आधारित होंगे।
- 5 सम-सामयिक घटनाएं : इसके अन्तर्गत प्रश्न उत्तराखण्ड राज्यीय तथा राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं पर आधारित होंगे।
- 6 उत्तराखण्ड का इतिहास : उत्तराखण्ड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: प्राचीनकाल (आरम्भ से 1200 ई0 तक): मध्यकाल (1200 से 1815 ई0 तक): प्रभावशाली राजवंश एवं उनकी उपलब्धियाँ, गोरखा आक्रमण एवं शासन, ब्रिटिश शासन, टिहरी रियासत एवं उसकी शासन व्यवस्था, स्वतंत्रता आन्दोलन में उत्तराखण्ड की भूमिका।

- 7 **उत्तराखण्ड की संस्कृति** : जातियां एवं जनजातियां, धर्म एवं लोक विश्वास, परम्पराएं एवं रीति-रिवाज, वेश-भूषा एवं आभूषण, मेले एवं त्यौहार, नृत्य, गायन एवं वाद्य यंत्र, खेलकूद, प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार पर आधारित होंगे।
- 8 **उत्तराखण्ड का भूगोल एवं जनांकिकी**: भौगोलिक स्थिति। उत्तराखण्ड में नदियां, पर्वत, जलवायु, वन संसाधन, मिट्टी एवं बागवानी, प्रमुख फसलें, सिंचाई के साधन, प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदायें एवं आपदा प्रबन्धन, जल संकट और जलागम प्रबन्धन, पर्यावरण एवं पर्यावरणीय आन्दोलन, उत्तराखण्ड की जनसंख्या: वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता एवं जनसंख्या पलायन।
- 9 **उत्तराखण्ड के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन**— प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था एवं प्रमुख शिक्षण संस्थान, पर्यटन, खनिज तथा उद्योग, संसाधनों के उपयोग की वर्तमान स्थिति। उत्तराखण्ड में गरीबी व बेरोजगारी, उन्मूलन व आर्थिक विकास की दिशा में चलाई जा रही विभिन्न योजनाएँ।
- 10 **सामान्य बुद्धि परीक्षण** :: सामान्य बुद्धि परीक्षण के अन्तर्गत बोधगम्यता, तार्किक एवं गणितीय क्षमता इत्यादि का परीक्षण सम्मिलित है।

General Knowledge and General Studies

Maximum Marks-25

Total Questions-25

- 1 **General Science and Knowledge of Computer Operation:** Questions on General Science and Computer operation will cover general understating and application of science and Computers including matters of day to day observation.
- 2 **History of India and Indian National Movement:** Questions on history of India and Indian National Movement will be based on general understanding of ancient, mediaeval and modern India and India's freedom movement.
- 3 **Indian polity:** Questions on Indian polity will be based on Indian polity, Constitution and Panchayati raj.
- 4 **Geography and Demography of India:** Questions will be based on a general understanding of geographical, ecological, socio-economic aspects and demography of India.
- 5 **Current Events:** Questions will be based on important current events of Uttarakhand State and National.
- 6 **History of Uttarakhand:** Historical background of Uttarakhand: Ancient period (from earliest to 1200 AD) ; Mediaeval period (from 1200 to 1815 AD): Important dynasties and their achievements; Gorkha invasion and administration, British rule, Tehri State and its administration, role of Uttarakhand in the Freedom Movement of India.
- 7 **Culture of Uttarakhand:** Question will be based on Castes and tribes, religious and folk beliefs, traditions and customs, costumes and ornaments; Fairs and Festivals, dances, songs, musical instruments, sports, tournaments and awards.
- 8 **Geography and Demography of Uttarakhand:** Geographical Setup. Rivers, mountains, climate, soils, forest resources and horticulture and Major crops of Uttarakhand. Means of irrigation. Natural and man-made calamities and Disaster management. Water crises and watershed management, Environment and environmental movements. Population of Uttarakhand: Distribution, density, sex ratio, literacy and migration.
- 9 **Economic and natural resoures :** Education system of the State and important educational institutes; tourism, minerals and industries. the position of utilization of resources. Various schemes being implemented in Uttrarakhand for the eradication of poverty and unemployment.
- 10 **General intelligence test ::** In General Mental Ability, questions will includes test comprehension, reasoning and numerical ability.

खण्ड—ब – विषयपरक जानकारी

(वर्ग—1 एवं वर्ग—2 में से अभ्यर्थी द्वारा किसी एक वर्ग का चयन किया जायेगा।)

(वर्ग—1)

1. भौतिक विज्ञान

प्रश्नों की संख्या: 25

अधिकतम अंक: 25

मापन की इकाईयां; एस0आई0 इकाईयां, मूल एवं व्युत्पन्न इकाईयां, मापन में त्रुटियां, भौतिक राशियों का आयाम, एक सीधी रेखा में समान और असमान गति, वृत्तीय गति, अदिश एवं सदिश राशियाँ, एक सदिश, समतल आयताकार घटकों का सदिश निरूपण, सदिशों का योग, घटाना एवं गुणा। न्यूटन का गति नियम; संवेग – संरक्षण का नियम एवं उपयोगिता। जड़त्व आघूर्ण, त्रिज्य परिभ्रमण, लम्बवत एवं समांतर अक्षों के प्रमेय। कार्य, ऊर्जा और शक्ति; गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा, कार्य – ऊर्जा प्रमेय, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ग्रहीय ग्रहों के लिए केप्लर का नियम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, पलायन वेग, भू उपग्रह। द्रव्यों का लोचदार व्यवहार; हुक का नियम, प्रत्यास्थता गुणांक, श्यानता, स्टोक नियम, रेनाल्ड्स संख्या, बरनौली का प्रमेय। पृष्ठ ऊर्जा एवं पृष्ठ तनाव, संपर्क कोण। ऊष्मा एवं ऊष्मा स्थानांतरण; विभिन्न ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, चालन, संवहन एवं विकिरण, न्यूटन का शीतलन नियम। ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम, प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम, ऊष्मा इंजन एवं रेफ्रिजरेटर। दोलन एवं तरंग, सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति में ऊर्जा—गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा, प्रणोदित एवं अवमंदित दोलन, डॉप्लर प्रभाव। वर्नियर कैलिपर्स एवं स्क्रूगेज की समुचित उपयोगिता। वैद्युत; चालक, अर्धचालक एवं कुचालक, वैद्युत आवेश, वैद्युत द्विध्रुव, कूलॉम नियम, विद्युत क्षेत्र, विभव एवं विभवान्तर, गॉस प्रमेय, संधारित्र तथा धारिता, संधारित्रों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन—श्रेणी एवं पार्श्व संयोजन, वान डे ग्राफ जनित्र, किरचॉफ के नियम, व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु, विभवमापी। वैद्युत का चुम्बकीय प्रभाव; चुम्बकीय क्षेत्र का अनुमान, बायो—सावर्ट नियम, ऐम्पियर का नियम एवं उनके अनुप्रयोग, साइक्लोट्रॉन, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय एवं लौह चुंबकीय पदार्थ स्थायी चुंबक एवं विद्युत चुंबक। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम; व्युत्पन्न विद्युत वाहक बल एवं धारा, लेंज का नियम, स्व एवं अन्योन्य प्रेरकत्व, L C R श्रेणीबद्ध एवं पार्श्वबद्ध अनुनाद, शक्तिहीन धारा, विस्थापन धारा, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की वर्तमान अनुप्रस्थ प्रकृति, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र: प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन का नियम, दर्पण एवं लेंस मेकर सूत्र, प्रकाशिकी फाइबर (तन्तु), आवर्धन, लेंस की क्षमता, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, मानव नेत्र एवं दोष (निकट दृष्टि, दूरदृष्टि, जरादूरदृष्टि, दृष्टिवैषम्य, सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शक, आवर्धन क्षमता। हाइड्रोजन का सिद्धांत; व्यतिकरण, यंग का डबल स्लिट प्रयोग, एकल स्लिट द्वारा विवर्तन, प्रकाश की दोहरी प्रकृति; प्रकाश विद्युत प्रभाव, आइंस्टीन का प्रकाश – विद्युत समीकरण, दे ब्रॉग्ली सम्बन्ध, डेविसन तथा जर्मर प्रयोग। नाभिक आकार एवं संघटन; परमाणु द्रव्यमान, समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, रेडियोएक्टिवता, अल्फा, बीटा एवं गामा क्षय, बंधन ऊर्जा, द्रव्यमान क्षति, नाभिकीय संलयन, विखण्डन एवं नाभिकीय

रिएक्टर। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां अर्धचालक डायोड, रेक्टिफायर, एल इ डी, फोटो डायोड, जेनर डायोड, सौर सेल, ट्रांजिस्टर एवं ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक के रूप में अनुप्रयोग, लॉजिक गेट। संचार माध्यम की मूल धारणाएं, गैल्वैनोमीटर को अमीटर एवं वोल्टमीटर में परिवर्तन, सोनोमीटर के द्वारा मुख्य प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति।

1. PHYSICS

No of Questions : 25

MM : 25

Units of measurement; SI units fundamental and derived units, errors in measurement, dimensions of physical quantities. Uniform and non-uniform motion along a straight line, circular motion. Scalar and vector quantities, unit vector, resolution of a vector in a plane-rectangular components, addition, subtraction and multiplication of vectors. Newton's laws of motion; law of conservation of linear momentum and its applications. Moment of inertia, radius of gyration, statement of parallel and perpendicular axes theorems. Work, energy and power; kinetic and potential energy, work-energy theorem, law of conservation of energy. Kepler's laws of planetary motion, universal law of gravitation, escape velocity, Geostationary Satellites. Elastic behavior of matter; Hooke's law, elastic constants, viscosity, Stokes law, Reynold's number, Bernoulli's theorem. Surface energy and surface tension, angle of contact. Heat and heat transfers; specific heat, latent heat, conduction, convection and radiation, Newton's law of cooling. Zeroth law, first law and second law of thermodynamics, heat engines and refrigerators. Oscillations and waves; Simple harmonic motion (S.H.M.), energy in SHM, Kinetic and potential energies, forced and damped oscillations, Doppler effect. Proper uses of Vernier Calipers and Screw gauge. Electricity; Conductors, Semiconductors and insulators, electric charge, electric dipole, Coulomb's law, electric field, potential and potential difference, Gauss's theorem, Capacitors and Capacitance, combination of capacitors, resistors in series and parallel, Van de Graaff generator, Kirchhoff's law, Wheatstone bridge, Meter bridge, Potentiometer. Magnetic effects of current; Idea of magnetic field, Bio-Savart law, Ampere's law and its application, cyclotron, moving coil galvanometer, Para, dia and Ferro magnetic substances, electromagnets and permanent magnets. Faraday's law of Electromagnetic induction; induced emf and current, Lenz's law, self and mutual inductance, LCR Series circuit, resonance, wattless current, displacement

Current, transverse nature of electromagnetic waves, electromagnetic spectrum. Optics and optical instruments; laws of reflection and refraction of light, mirror and lens-maker's formula, optical fibers, magnification, power of a lens, dispersion of light through a prism, scattering of light, human eye and eye defects (myopia, hypermetropia, presbyopia and astigmatism), microscope, astronomical telescope, resolving power. Huygens's principle; interference, Young's double slit

experiment; diffraction due to a single slit, Dual nature of light; photoelectric effect, Einstein's photoelectric equation, de Broglie relation, Davisson-Germer experiment. Composition and size of nucleus; atomic masses, isotopes, isobars, isotones, radioactivity, alpha, beta and gamma decay, binding energy, mass defect, nuclear fusion, fission and nuclear reactor.

Electronic devices; semiconductor diode, rectifier, LED, photodiode, Zener diode, solar cell, transistor and transistor as an amplifier, logic gates. Elementary idea of communication system, Conversion of Galvanometer into ammeter and voltmeter. Frequency of ac mains with a sonometer

2. रसायन विज्ञान

प्रश्नों की संख्या: 25

अधिकतम अंक: 25

रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा, परमाणुओं की संरचना, तत्वों का वर्गीकरण और तत्वों के गुणों में आवधिक रुझान, रासायनिक बंधन, संकरण, गैस नियम, आदर्श गैस समीकरण, गैसों के गतिज आणविक सिद्धांत, ऊष्मप्रवैगिकी, रासायनिक संतुलन के नियम और संतुलन स्थिरांक, संतुलन को प्रभावित करने वाले कारक, अम्ल, क्षार और लवण, बफर विलियन, विभिन्न बाध्यकारी बलों के आधार पर ठोस पदार्थों का वर्गीकरण, आणविक, आयनिक, सहसंयोजक और धात्विक ठोस, अनाकार और क्रिस्टलीय ठोस, सोखना, कोलाइडल अवस्था, कोलाइड्स के गुण, संपार्श्विक गुण, वैद्युत रसायन, रासायनिक गतिकी, पृष्ठ रसायन, ब्लॉक तत्व, समन्वय यौगिक, नाम पद्धति, बनाने की विधियां।

हैलोएल्केन, हैलोएरीन, अल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड और केटोन्स, कार्बोक्जिलिक एसिड, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक के भौतिक और रासायनिक गुण, जैव अणु, बहुलक, भोजन और दवा में रसायन, सफाई एजेंट।

2. CHEMISTRY

No of Questions : 25

MM : 25

Basic concept of chemistry, structure of atoms, classification of elements and periodic trends in properties of elements, chemical bonding, hybridization, gas laws, ideal gas equation, kinetic molecular theory of gases, thermodynamics, laws of chemical equilibrium and equilibrium constant, factors affecting equilibrium, acids, bases and salts, buffer solution, classification of solids based on different binding forces, molecular, ionic, covalent and metallic solids, amorphous and crystalline solids, adsorption, colloidal state, property of colloids, colligative properties, electrochemistry, chemical kinetics, surface chemistry, block elements, coordination compound, nomenclature, methods of preparation.

physical and chemical properties of haloalkanes, haloarenes, alcohols, phenols, aldehydes and ketones, carboxylic acids, nitrogen containing organic compounds, biomolecules, polymers, chemicals in food and medicine, cleansing agents.

3. जीवविज्ञान

प्रश्नों की संख्या: 25

अधिकतम अंक: 25

1. जीवों का जगत वर्गीकरण, पुष्पी पादपों की आकारिकी, ऊतक, शारीर, अलैंगिक एवं लैंगिक जनन।
2. वाष्पोत्सर्जन, खनिज पोषकों का उद्ग्रहण एवं परिवहन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, पादप वृद्धि नियामक।
3. वर्गीकरण श्रेणी और पदानुक्रम, जानवरों में समरूपता।
4. कोशिका का आकार एवं आकृति, जैव अणुओं के प्रकार, कोशिका चक्र की विभिन्न प्रावस्थाएं।
5. मानव के पाचन तंत्र की ग्रंथियाँ और पीयूष ग्रंथि के हार्मोन, पशुओं में शुक्रजनन व अनुजनन प्रक्रिया, पशु प्रजनन के प्रकार।
6. पारिस्थितिकी: जीव, समष्टियाँ, पारितंत्र (संरचना एवं क्रियाशीलता), जैव-विविधता एवं इनका संरक्षण, मानव का उद्भव एवं विकास।

3. BIOLOGY

No of Questions : 25

MM : 25

1. Kingdom classification of living organisms, Morphology, tissues, anatomy, asexual and sexual reproduction in flowering plants.
2. Transpiration, uptake and transport of mineral nutrients, photosynthesis, respiration and plant growth regulators.
3. Taxonomic category and hierarchy, symmetry in animals.
4. Cell shape and size, Type of biomolecules, Different phases of the cell cycle.
5. Human digestive system glands, Hormones of pituitary gland, Spermatogenesis and oogenesis, Type of animal breeding.
6. Ecology: organisms, populations, ecosystem (structure and function), biodiversity and its conservation, Origin and evolution of man.

(वर्ग-2)

1. भौतिक विज्ञान

प्रश्नों की संख्या: 25

अधिकतम अंक: 25

मापन की इकाईयां; एस0आई0 इकाईयां, मूल एवं व्युत्पन्न इकाईयां, मापन में त्रुटियां, भौतिक राशियों का आयाम, एक सीधी रेखा में समान और असमान गति, वृत्तीय गति, अदिश एवं सदिश राशियाँ, एक सदिश, समतल आयताकार घटकों का सदिश निरूपण, सदिशों का योग, घटाना एवं गुणा। न्यूटन का गति नियम; संवेग – संरक्षण का नियम एवं उपयोगिता। जड़त्व आघूर्ण, त्रिज्य परिभ्रमण, लम्बवत एवं समांतर अक्षों के प्रमेय। कार्य, ऊर्जा और शक्ति; गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा, कार्य – ऊर्जा प्रमेय, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ग्रहीय ग्रहों के लिए केप्लर का नियम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, पलायन वेग, भू उपग्रह। द्रव्यों का लोचदार व्यवहार; हुक का नियम, प्रत्यास्थता गुणांक, श्यानता, स्टोक नियम, रेनाल्ड्स संख्या, बरनौली का प्रमेय। पृष्ठ ऊर्जा एवं पृष्ठ तनाव, संपर्क कोण। ऊष्मा एवं ऊष्मा स्थानांतरण; विभिन्न ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, चालन, संवहन एवं विकिरण, न्यूटन का शीतलन नियम। ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि नियम, प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम, ऊष्मा इंजन एवं रेफ्रिजरेटर। दोलन एवं तरंग, सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति में ऊर्जा-गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा, प्रणोदित एवं अवमंदित दोलन, डॉप्लर प्रभाव। वर्नियर कैलिपर्स एवं स्क्रूगेज की समुचित उपयोगिता। वैद्युत; चालक, अर्धचालक एवं कुचालक, वैद्युत आवेश, वैद्युत द्विध्रुव, कूलॉम नियम, विद्युत क्षेत्र, विभव एवं विभवान्तर, गॉस प्रमेय, संधारित्र तथा धारिता, संधारित्रों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन-श्रेणी एवं पार्श्व संयोजन, वान डे ग्राफ जनित्र, किरचॉफ के नियम, व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु, विभवमापी। वैद्युत का चुम्बकीय प्रभाव; चुम्बकीय क्षेत्र का अनुमान, बायो-सावर्ट नियम, ऐम्पियर का नियम एवं उनके अनुप्रयोग, साइक्लोट्रॉन, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय एवं लौह चुंबकीय पदार्थ स्थायी चुंबक एवं विद्युत चुंबक। फ़ैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम; व्युत्पन्न विद्युत वाहक बल एवं धारा, लेंज का नियम, स्व एवं अन्योन्य प्रेरकत्व, L C R श्रेणीबद्ध एवं पार्श्वबद्ध अनुनाद, शक्तिहीन धारा, विस्थापन धारा, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की वर्तमान अनुप्रस्थ प्रकृति, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र: प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन का नियम, दर्पण एवं लेंस मेकर सूत्र, प्रकाशिकी फाइबर (तन्तु), आवर्धन, लेंस की क्षमता, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, मानव नेत्र एवं दोष (निकट दृष्टि, दूरदृष्टि, जरादूरदृष्टि, दृष्टिवैषम्य, सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शक, आवर्धन क्षमता। हाइड्रोजन का सिद्धांत; व्यतिकरण, यंग का डबल स्लिट प्रयोग, एकल स्लिट द्वारा विवर्तन, प्रकाश की दोहरी प्रकृति; प्रकाश विद्युत प्रभाव, आइंस्टीन का प्रकाश – विद्युत समीकरण, दे ब्रॉग्ली सम्बन्ध, डेविसन तथा जर्मर प्रयोग। नाभिक आकार एवं संघटन; परमाणु द्रव्यमान, समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, रेडियोएक्टिवता, अल्फा, बीटा एवं गामा क्षय, बंधन ऊर्जा, द्रव्यमान क्षति, नाभिकीय संलयन, विखण्डन एवं नाभिकीय रिएक्टर। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां अर्धचालक डायोड, रेक्टिफायर, एल इ डी, फोटो डायोड, जेनर डायोड, सौर सेल, ट्रांजिस्टर एवं ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक के रूप में अनुप्रयोग, लॉजिक गेट। संचार माध्यम की मूल धारणाएं, गैल्वेनोमीटर को अमीटर एवं वोल्टमीटर में परिवर्तन, सोनोमीटर के द्वारा मुख्य प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति।

1. PHYSICS

No of Questions : 25

MM : 25

Units of measurement; SI units fundamental and derived units, errors in measurement, dimensions of physical quantities. Uniform and non-uniform motion along a straight line, circular motion. Scalar and vector quantities, unit vector, resolution of a vector in a plane-rectangular components, addition, subtraction and multiplication of vectors. Newton's laws of motion; law of conservation of linear momentum and its applications. Moment of inertia, radius of gyration, statement of parallel and perpendicular axes theorems. Work, energy and power; kinetic and potential energy, work-energy theorem, law of conservation of energy. Kepler's laws of planetary motion, universal law of gravitation, escape velocity, Geostationary Satellites. Elastic behavior of matter; Hooke's law, elastic constants, viscosity, Stokes law, Reynold's number, Bernoulli's theorem. Surface energy and surface tension, angle of contact. Heat and heat transfers; specific heat, latent heat, conduction, convection and radiation, Newton's law of cooling. Zeroth law, first law and second law of thermodynamics, heat engines and refrigerators. Oscillations and waves; Simple harmonic motion (S.H.M.), energy in SHM, Kinetic and potential energies, forced and damped oscillations, Doppler effect. Proper uses of Vernier Calipers and Screw gauge. Electricity; Conductors, Semiconductors and insulators, electric charge, electric dipole, Coulomb's law, electric field, potential and potential difference, Gauss's theorem, Capacitors and Capacitance, combination of capacitors, resistors in series and parallel, Van de Graaff generator, Kirchhoff's law, Wheatstone bridge, Meter bridge, Potentiometer. Magnetic effects of current; Idea of magnetic field, Bio-Savart law, Ampere's law and its application, cyclotron, moving coil galvanometer, Para, dia and Ferro magnetic substances, electromagnets and permanent magnets. Faraday's law of Electromagnetic induction; induced emf and current, Lenz's law, self and mutual inductance, LCR Series circuit, resonance, wattless current, displacement

Current, transverse nature of electromagnetic waves, electromagnetic spectrum. Optics and optical instruments; laws of reflection and refraction of light, mirror and lens-maker's formula, optical fibers, magnification, power of a lens, dispersion of light through a prism, scattering of light, human eye and eye defects (myopia, hypermetropia, presbyopia and astigmatism), microscope, astronomical telescope, resolving power. Huygens's principle; interference, Young's double slit experiment; diffraction due to a single slit, Dual nature of light; photoelectric effect, Einstein's photoelectric equation, de Broglie relation, Davisson-Germer experiment. Composition and size of nucleus; atomic masses, isotopes, isobars,

isotones, radioactivity, alpha, beta and gamma decay, binding energy, mass defect, nuclear fusion, fission and nuclear reactor.

Electronic devices; semiconductor diode, rectifier, LED, photodiode, Zener diode, solar cell, transistor and transistor as an amplifier, logic gates. Elementary idea of communication system, Conversion of Galvanometer into ammeter and voltmeter. Frequency of ac mains with a sonometer

2. रसायन विज्ञान

प्रश्नों की संख्या: 25

अधिकतम अंक: 25

रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा, परमाणुओं की संरचना, तत्वों का वर्गीकरण और तत्वों के गुणों में आवधिक रुझान, रासायनिक बंधन, संकरण, गैस नियम, आदर्श गैस समीकरण, गैसों के गतिज आणविक सिद्धांत, ऊष्मप्रवैगिकी, रासायनिक संतुलन के नियम और संतुलन स्थिरांक, संतुलन को प्रभावित करने वाले कारक, अम्ल, क्षार और लवण, बफर विलियन, विभिन्न बाध्यकारी बलों के आधार पर ठोस पदार्थों का वर्गीकरण, आणविक, आयनिक, सहसंयोजक और धात्विक ठोस, अनाकार और क्रिस्टलीय ठोस, सोखना, कोलाइडल अवस्था, कोलाइड्स के गुण, संपार्श्विक गुण, वैद्युत रसायन, रासायनिक गतिकी, पृष्ठ रसायन, ब्लॉक तत्व, समन्वय यौगिक, नाम पद्धति, बनाने की विधियां।

हैलोएल्केन, हैलोएरीन, अल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड और केटोन्स, कार्बोक्जिलिक एसिड, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक के भौतिक और रासायनिक गुण, जैव अणु, बहुलक, भोजन और दवा में रसायन, सफाई एजेंट।

2. CHEMISTRY

No of Questions : 25

MM : 25

Basic concept of chemistry, structure of atoms, classification of elements and periodic trends in properties of elements, chemical bonding, hybridization, gas laws, ideal gas equation, kinetic molecular theory of gases, thermodynamics, laws of chemical equilibrium and equilibrium constant, factors affecting equilibrium, acids, bases and salts, buffer solution, classification of solids based on different binding forces, molecular, ionic, covalent and metallic solids, amorphous and crystalline solids, adsorption, colloidal state, property of colloids, colligative properties, electrochemistry, chemical kinetics, surface chemistry, block elements, coordination compound, nomenclature, methods of preparation.

physical and chemical properties of haloalkanes, haloarenes, alcohols, phenols, aldehydes and ketones, carboxylic acids, nitrogen containing organic compounds, biomolecules, polymers, chemicals in food and medicine, cleansing agents.

3. गणित

प्रश्नों की संख्या: 25

अधिकतम अंक: 25

- वेन आरेख, सम्बन्ध और उनके विभिन्न प्रकार। वास्तविक मूल्यों के फलन (एक-एक, पर), व्युत्क्रम फलन और समिश्र फलन।
- द्विघात बहुपद और उनके मूल।
- समिश्र संख्याएँ, आर्गंड समतल और समिश्र संख्याओं का ध्रुवीय निरूपण।
- सीधी रेखाएँ, तिरछी रेखाएँ, समतल, समतल के साथ रेखा का प्रतिच्छेदन। वृत्त, दीर्घवृत्त, परवलय, अतिपरवलय और उनके गुणधर्म।
- आव्यूह, पंक्ति/स्तंभ संचालन, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, केले-हेमिल्टन प्रमेय।
- सारणिक, रेखीय समीकरणों की प्रणाली के संगत/असंगत और समाधानों की संख्या।
- असमूहीकृत/समूहित आंकड़ों (डेटा) का माध्य, माध्यिका, बहुलक, विचरण और मानक विचलन। विभिन्न पहलूओं के साथ आवृत्ति वितरण का विश्लेषण।
- प्रायिकता के सिद्धान्त, बेज प्रमेय, द्विपद वितरण।
- फलन की सीमा, संतता और अवकलनीयता। रोले प्रमेय, लैग्रेंज माध्य-मान प्रमेय। बढ़ते/घटते फलन। उच्चिष्ठ एवं निम्निष्ठ।
- फलनों का समाकलन। निश्चित समाकल और इसके गुणधर्म। सरल वक्रों का क्षेत्रफल।
- अवकल समीकरणों का सूत्रीकरण, कोटि और घात, सामान्य और विशेष समाधान। प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरणों का हल।
- रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याओं का गणितीय सूत्रीकरण (तीन बाधाओं तक)

3. MATHEMATICS

No of Questions : 25

MM :25

- Venn diagrams, Relations and their types. Real valued functions (one-one, on to), Inverse functions & composite functions.
- Quadratic polynomials and their roots.
- Complex numbers, Argand plane and polar representation of complex numbers.
- Straight lines, skew lines, planes, intersection of a line with plane. circle, ellipse, parabola, hyperbola and their properties.
- Matrices, row/column operations, invertible matrices, Caley-Hamilton theorem.
- Determinants. Consistency/inconsistency and number of solutions of system of linear equations.

- Mean, median, mode, variance and standard deviation of ungrouped/grouped data. Analysis of frequency distribution with different aspect.
- Theorems on probability. Baye's theorem. Binomial distribution.
- Limit, continuity and differentiability of a function. Rolle's and Lagrange mean value theorems. Increasing/decreasing functions. Maxima and minima.
- Integration of functions. Definite integrals and its properties. Areas of simple curves.
- Formulation, order and degree, general and particular solution of differential equations. Solution of first order and first degree differential equations.
- Mathematical formulation of linear programming problems (up to three constraints)

परिशिष्ट-03

उत्तराखण्ड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण-पत्रों के प्रपत्र।
प्रमाण-पत्र का प्रारूप

उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण-पत्र

(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम

..... तहसीलनगर जिला

..... उत्तराखण्ड के राज्य की पिछड़े जाति के व्यक्ति

है। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है,

की अनुसूची-1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम,1994 की अनुसूची-2 से अधिसूचना संख्या-22/16/92-का-2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार

उत्तराखण्ड के ग्रामतहसील नगर

..... जिलामें सामान्यतया रहता है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पदनाम

मुहर

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी
मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार
/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रपत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम
.....तहसील नगर जिला
उत्तराखण्ड कीजाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान
(अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ) संविधान
(अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के
अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी
तथा अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम तहसील
नगरजिला में सामान्यतया रहता है।

स्थान : हस्ताक्षर
दिनांक : पूरा नाम
मुहर : पदनाम
जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/
उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/जिला समाज कल्याण
अधिकारी।

उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण-पत्र
शासनादेश संख्या- 4/23/1982-2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर,1997
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
.सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री निवासी ग्राम
.....तहसील नगर
जिलाउत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग,
स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण)
अधिनियम,1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम
सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित)
..... पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री (पुत्र की पुत्री) (विवाहित या अविवाहित) उपयुक्त
अधिनियम,1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)
के आश्रित है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

पूरा नाम.....

पदनाम

मुहर

जिलाधिकारी

(सील)

निःशक्तता प्रमाण-पत्र

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या -

तारीख

निःशक्तता प्रमाण - पत्र

चिकित्सा बोर्ड के
अध्यक्ष द्वारा विधिवत
प्रमाणित उम्मीदवार
का हाल का फोटो
जो उम्मीदवार की
निःशक्तता दर्शाता
हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/क्यू
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री आयु..... लिंग..... पहचान चिन्ह..
.....निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है।

क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉल्लिज)

(i) दोनों टांगे (बी एल) – दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(ii) दोनों बांहें (बी ए) – दोनों बांहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(iii) दोनों टांगे और बांहें (बी एल ए) – दोनों टोंगें और दोनों बांहें प्रभावित

(iv) एक टांग (ओ एल) – एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)

(क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(v) एक बांह (ओ ए) – एक बांह प्रभावित

(क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(vi) पीठ और नितम्ब (बी एच) – पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(vii) कमजोर मांस पेशियां (एम डब्ल्यू) – मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि –

(i) बी – अंधता

(ii) पी बी – ऑशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

(i) डी-बधिर

(ii) पी डी – ऑशिक रूप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/ इसमें सुधार होने की सम्भावना है/सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इस मामले का पुननिर्धारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती।वर्षों महीनों की अवधि के पश्चात पुननिर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है। *
3. उनके मामले में निशक्तता का प्रतिशत है।
4. श्री/श्रीमती/कुमारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं:-

- (i) एफ-अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं।
हाँ/नहीं
- (ii) पी पी-धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं ।
हाँ/नहीं
- (iii) एल-उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।
हाँ/नहीं
- (iv) के सी-घुटनों के बल झुकन और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं
हाँ/नहीं
- (v) बी-झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं।
हाँ/नहीं
- (vi) एस-बैठ कर कार्य कर सकते /सकती हैं।
हाँ/नहीं
- (vii) एस टी-खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं।
हाँ/नहीं
- (viii) डब्लू-चलते हुए कर कार्य कर सकते/सकती हैं।
हाँ/नहीं
- (ix) एस ई-देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं।
हाँ/नहीं
- (x) एच-सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।
हाँ/नहीं
- (xi) आर डब्लू-पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।
हाँ/नहीं

(डा०.....)

सदस्य
चिकित्सा बोर्ड

(डा०.....)

सदस्य
चिकित्सा बोर्ड

(डा०.....)

सदस्य
चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/

अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रति हस्ताक्षरित
(मुहर सहित)

* जो लागू न हो काट दें।

उत्तराखण्ड सरकार

(प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता)

(अधिसूचना संख्या 64 / XXXVI (3) / 2019 / 19(1) / 2019 दि: 07 मार्च, 2019 के अधीन)

अर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या.....वर्ष.....हेतु मान्य दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी.....

पुत्र / पत्नी / पुत्री.....ग्राम / मुहल्ला.....

पोस्ट ऑफिस.....जिला.....पिन कोड.....

उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी / स्थायी निवासी हैं, जिनका नवीनतम फोटो नीचे प्रमाणित है। इनके परिवार की सभी स्रोतों से वित्तीय वर्ष..... की औसत आय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मानक ₹ 8.00 लाख (रुपये आठ लाख) से कम है और इनका परिवार निम्न में से कोई सम्पत्ति धारित नहीं करता है :-

- (I) कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक, या
- (II) आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक, या
- (III) अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड, या
- (IV) अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के भूखण्ड।

2. श्री / श्रीमती / कुमारी.....जो कि.....जाति से हैं और भारत सरकार / उत्तराखण्ड सरकार की अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्तः पिछड़ा वर्ग सूची में सम्मिलित नहीं है।

आवेदक का
नवीनतम पासपोर्ट
साइज का
प्रमाणित फोटो

हस्ताक्षर सहित कार्यालय की मुहर
नाम.....
पदनाम.....

परिशिष्ट-04

सहकारिता पर्यवेक्षक एवं पर्यावरण पर्यवेक्षक (समूह 'ग') परीक्षा-2023

हेतु न्यूनतम अर्हकारी अंक :-

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली, 2022 यथा संशोधित में वर्णित प्राविधान के तहत निम्नलिखित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है:-

क्र० सं०	श्रेणी/उपश्रेणी	लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक (प्रतिशत में)
1.	अनारक्षित श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	45%
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	40%
3.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	40%
4.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	35%

नोट :: सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी के अभ्यर्थियों को उक्तानुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक (प्रतिशत में) प्राप्त करने पर ही मेरिट (MERIT) के क्रम में प्रवीणता-सूची हेतु विचारित किया जायेगा।

परिशिष्ट-05

सहकारिता पर्यवेक्षक एवं पर्यावरण पर्यवेक्षक (समूह 'ग') परीक्षा-2023 के अन्तर्गत लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) हेतु परीक्षा केन्द्रों/जनपदों की सूची-

Sl. No.	Exam Center/ District	Exam Center/ District Code
1	Almora	01
2	Bageshwar	02
3	Champawat	03
4	Chamoli	04
5	Dehradun	05
6	Haridwar	06
7	Nainital	07
8	New Tehri	08
9	Pithoragarh	09
10	Pauri Garhwal	10
11	Rudraprayag	11
12	Udham Singh Nagar	12
13	Uttarkashi	13

नोट:- आयोग, अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के अनुसार आवेदित जनपदों में परीक्षा केन्द्र आवंटित करने का प्रयास करेगा, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में अथवा अभ्यर्थियों की संख्या न्यून/अत्यधिक होने की दशा में अभ्यर्थियों को उनके विकल्प से इतर अन्य जनपद में भी परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के संबंध में आयोग द्वारा किसी भी प्रकार के अनुरोध/प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

परिशिष्ट-06

शासनादेश संख्या: 374(1)/XXX(2)/2019-30(5)/2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में मार्गदर्शिका सिद्धांत :-

1. आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्क्रीनिंग/प्रारंभिक/लिखित परीक्षा में Benchmark विकलांगता धारित अभ्यर्थी जो Blindness (अंधता), locomoter disability (Both arm affected-BA) (चलनक्रिया (दोनों हाथ प्रभावित)) तथा cerebral palsy (मस्तिष्क घात)से ग्रस्त हैं तथा इसके अतिरिक्त वे समस्त अभ्यर्थी, जो देश के किसी भी क्षेत्र में अवस्थित सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकारी (मुख्य चिकित्साधिकारी/शल्य चिकित्सक/चिकित्सा अधीक्षक) द्वारा निर्गत परिशिष्ट-6(1) प्रारूप में प्रमाण पत्र धारित करते हैं, को श्रुतलेखक की सुविधा प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा उक्त का दावा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में करना होगा। परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को परिशिष्ट-6(1) की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित परिशिष्ट-6(2) की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
2. अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेख करना होगा कि श्रुतलेखक की सुविधा आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जानी है अथवा अभ्यर्थी द्वारा स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था की जाएगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा स्वयं श्रुतलेखक को लाने का दावा किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को परिशिष्ट-1 की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित परिशिष्ट-6(2) की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
3. यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा हेतु आयोग से अनुरोध किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को परिशिष्ट-6(1) प्रमाण पत्र की प्रति आयोग कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी तथा श्रुतलेखक की समीक्षा/सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रुतलेखक से परीक्षा तिथि से दो दिन पूर्व मिलवाया जाएगा तथा अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र प्रत्येक दशा में परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार होगा।
4. श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता प्रश्नगत पद की अनिवार्य शैक्षिक योग्यता से एक स्तर कम होगी किंतु किसी भी दशा में हाईस्कूल से न्यून नहीं होगी। दिव्यांग अभ्यर्थी को विभिन्न भाषा विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक अनुमन्य किया जा सकता है, किंतु एक विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं किया जाएगा।
5. दिव्यांग अभ्यर्थी की परीक्षा (प्रारंभिक/स्क्रीनिंग/लिखित) आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रारूप पर नहीं ली जाएगी और न ही प्रश्नपत्र के प्रारूप में किसी प्रकार का संशोधन किया जाएगा।
6. श्रुतलेखक की सुविधायुक्त दिव्यांग अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूर्ति समय प्रदान किया जाएगा। एक घण्टे से कम समय हेतु क्षतिपूर्ति समय 20 मिनट प्रति घण्टे के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा जो कि 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा 5 मिनट के गुणांक में होगा।
7. जिन परीक्षाओं में केलकुलेटर की सुविधा अनुमन्य होगी उन परीक्षाओं हेतु दिव्यांग अभ्यर्थियों को talking calculator की सुविधा प्रदान की जाएगी तथा श्रुतलेखक व अभ्यर्थी के मध्य संचार हेतु

उपयोग में लाई जाने वाले उपकरण जैसे (trailer frame, Braille slate, abascus, geometry kit, communication devices etc.) भी परीक्षा हेतु अनुमन्य होंगे ;उपरोक्त सभी उपकरण अभ्यर्थी द्वारा स्वयं लाये जायेंगे)।

8. दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर प्रत्येक दशा में भू-तल के निर्धारित परीक्षा-कक्ष में बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

सचिव

Certificate regarding physical limitation in an examinee to write

This is to certify that, I have examined Mr/Ms/Mrs
(name of the candidate with disability), a person with
(nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of
disability), S/o/D/o, a resident of
(Village/District/State) and to state that he/she has physical limitation
which hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.

Signature

Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent of a
Government Health care institution

(Name & Designation)

Name of Government Hospital/Health Care Centre with Seal:

Place:

Date:

**Note: Certificate should be given by a specialist of the relevant
stream/disability (eg. Visual impairment- Ophthalmologist,
Locomotor disability Orthopedic specialist/PMR)**

Letter of Undertaking for using own Scribe

I, a candidate with(name of the disability) appearing for the(name of the examination) bearing Roll No. at(name of the centre) in the District (name of the State). My qualification is

I do hereby state that (name of the scribe) will provide the service of scribe/reader/lab assistant for the undersigned for taking the aforesaid examination.

I do hereby undertake that his qualification is In case, subsequently it is found that his qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification, I shall forfeit my right to the post and claims relating thereto.

(Signature of the candidate with disability)

Place:

Date:

परिशिष्ट-07

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(s) से आच्छादित किन्तु अधिनियम की धारा 2(r) से अवमुक्त अर्थात् 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता धारित ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें लिखने में कठिनाई है, को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने हेतु दिशा निर्देश

1. आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्क्रीनिंग/प्रारंभिक/लिखित परीक्षा में श्रुतलेखक एव/या क्षतिपूर्ति समय की सुविधा लिखने में असमर्थ केवल ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रदान की जाएगी जिनके द्वारा **परिशिष्ट-7(1)** पर निर्धारित प्रारूप पर राजकीय चिकित्सालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा कि अभ्यर्थी लिखने में असमर्थ है तथा अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु श्रुतलेखक की आवश्यकता है।

2. श्रुतलेखक की अनुमन्यता के संबंध में प्रेषित किया जाने वाला **परिशिष्ट-7(1)** पर निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण-पत्र निम्नवत गठित बहु-सदस्यीय समिति द्वारा निर्गत किया जाना अनिवार्य है-

- i. Chief Medical officer/Civil Surgeon/Chief District Medical Officer..... अध्यक्ष
- ii. Orthopaedic/PMR specialist
- iii. Neurologist (उपलब्धता के आधार पर)
- iv. Clinical Psychologist/Rehabilitation Psychologist/
Psychiatrist/ Special Educator
- v. Occupational therapist. (उपलब्धता के आधार पर)
- vi. समिति के अध्यक्ष द्वारा अभ्यर्थी की स्थिति के आधार पर नामित अन्य कोई सदस्य।

3. अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेख करना होगा कि अभ्यर्थी द्वारा स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था की जाएगी अथवा श्रुतलेखक आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा हेतु आयोग से अनुरोध किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व तक अभ्यर्थी को **परिशिष्ट-7(1)** प्रमाण-पत्र आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा तथा श्रुतलेखक की समीक्षा/सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को श्रुतलेखक से परीक्षा तिथि से दो दिन पूर्व मिलवाया जाएगा। उक्त स्थिति में अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र प्रत्येक दशा में हरिद्वार होगा।

4. श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता संबंधित परीक्षा हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता से एक स्तर कम होगी किन्तु किसी भी दशा में हाई स्कूल से न्यून नहीं होगी।

स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था किये जाने पर अभ्यर्थी को परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व तक श्रुतलेखक की 02 आवक्ष फोटो एवं 01 पहचान-पत्र के साथ **परिशिष्ट-7(2)** प्रमाण-पत्र एवं **परिशिष्ट-7(1)** प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

5. अभ्यर्थी को अपरिहार्य परिस्थितियों में श्रुतलेखक को परिवर्तित किये जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी को विभिन्न भाषा विषय/प्रश्नपत्र में पृथक-पृथक श्रुतलेखक अनुमन्य किया जा सकता है, किन्तु एक विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं किया जाएगा।

6. अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत **परिशिष्ट-7(1)** प्रमाण-पत्र के बिन्दु संख्या-2 में अनुमोदित ऐसे सहायक उपकरणों के प्रयोग की अनुमति होगी, जिससे परीक्षा की शुचिता प्रभावित नहीं होती हो।

7. श्रुतलेखक हेतु अर्ह अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूर्ति समय प्रदान किया जाएगा। एक घण्टे से कम समय हेतु क्षतिपूर्ति समय 20 मिनट प्रति घण्टे के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा जो 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा 5 मिनट के गुणांक में होगा।

8. श्रुतलेखक हेतु अर्ह अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा केन्द्र के भू-तल पर निर्धारित परीक्षा-कक्ष में बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

9. उक्त दिशा-निर्देश शासनादेश संख्या : 374(1)/XXX(2)/2019-30(5)/2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में आयोग द्वारा अनुमोदित दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका सिद्धांत दिनांक 09 जून, 2020 से पृथक होंगे।

सचिव

परिशिष्ट-07 (I)
Appendix-07 (I)

Certificate for person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2 (r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing

This is to certify that, we have examined Mr./Ms./Mrs.....(name of the candidate), s/o /D/oa resident of (Vill/PO/PS/District/State), aged..... yrs. a person(nature of disability/condition), and to state that he/she with has limitation which hampers his/her writing capability owing to his/her above condition. He/she requires support of scribe for writing the examination.

2. The above candidate uses aids and assistive device such as prosthetics & orthotics, hearing aid (name to be specified) which is/are essential for the candidate to appear at the examination with the assistance of scribe.

3. This certificate is issued only for the purpose of appearing in written examinations conducted by recruitment agencies as well as academic institutions and is valid unto _____ (it is valid for maximum period of six months or less as may be certified by the medical authority)

Signature of medical authority

(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)
Orthopedic/ PMR specialist	Clinical Psychologist/ Rehabilitation Psychologist/psychiatrist/ Special Educator	Neurologist (if available)	Occupational therapist (if available)	Other Expert, as nominated by the Chairperson (If any)
(Signature & Name)				
Chief Medical Officer/ Civil Surgeon/Chief District Medical Officer..... Chairperson				

Name of Government Hospital/Health Care Centre with seal

Place:

Date:

परिशिष्ट-07 (II)

Appendix-07 (II)

Letter of Undertaking by the person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2 (r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing.

I _____, a candidate with _____ (nature of disability/condition) appearing for the _____ (name of the examination) bearing _____ Roll No. _____ at _____ (name of the center) in the District _____, _____ (name of the State). My educational qualification is _____.

2. I do hereby state that _____ (name of the scribe) will provide the service of scribe for the undersigned for taking the aforementioned examination.

3. I do hereby undertake that his qualification is _____. In case subsequently it is found that his qualifications is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification. I shall forfeit my right to the post or certificate/diploma/degree and claims relating thereto.

(Signature of the candidate)

(Counter signature by the parent/guardian, if the candidate is minor)

Place:

Date: